I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/04/2019 14:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	166
4	IPC 1860	166-A(b)
5	IPC 1860	167
6	IPC 1860	193
7	IPC 1860	217
8	IPC 1860	218
9	IPC 1860	384
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(i)
12	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(ii)

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 20/03/2014 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 10:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/04/2019 **Time (समय):** 10:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/04/2019 12:58 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 40 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): BHIWANI,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** VIJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** DILBAG SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1970 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	GUDANA, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	GUDANA, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	DHIRENDER		Father's Name: DALIP SINGH	1. TIGRANA,BHIWANI,HARYANA,INDIA
2	KULDEEP			1. BOND,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
3	PARDEEP SINGH		Father's Name: RANJEET SINGH	1. BHIWANI,BHIWANI,HARYANA,INDIA
4	DINESH KUMAR		Father's Name: LEKHI RAM	1. BHIWANI,BHIWANI,HARYANA,INDIA
5	VIJAY KUMAR		DILBAG SINGH	1. GUDANA,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
6	VIKRAM SINGH		Father's Name: SUNDAR SINGH	1. BODRI,KARNAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान् जी, महानिदेशक रा0 चै0 ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पत्र क्रमांक 4768/ई0-1/SVB(H) दिनांक 22.03.2019 के अनुसार विजय कुमार पुत्र दिलबाग सिंह वासी गुडाना तहसील चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हाल बिजली बोर्ड कालोनी नजदीक बी0टी0एम0 चौक भिवानी की शिकायत वरखिलाफ इ0एच0सी0 धीरज उर्फ धीरेन्द्र न0 359/जीन्द व 489/हांसी तैनात एस0वी0बी0 उपकेन्द्र भिवानी के बारे इस मण्डल में जांच हेतू प्राप्त हुई है। जिसका मजबून जैल है सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय जी, हरियाणा राज्य, चैकसी ब्यूरो पलाट न0 01 सैक्टर 23 नजदीक चण्डी मन्दिर, पचंकुला हरियाणा विषय शिकायत विरूद्व धिरेन्द्र सिंह उर्फ धीरज हवलदार एस0वी0बी0 -33 ने षडयंत्र करके और सजा का भय दिखाकर व डरा धमाकर व बुरी नियत से रूपये व दबाव बनाकर 22 लाख 22 हजार रूपये ऐठ लिये और इनमें से 2 लाख 50 हजार रूपये विजिलैंस स्टाप के नाम

से ऐठ लिये। बाद में मुझे फोन की रिकार्डिंग से ज्ञात हुआ कि धीरेन्द्र सिंह हवलदार ने गलत तरीके से रूपये ऐठ लिये है और रूपये वापिस मागने से उसने साफ इन्कार कर दिया। जिसके विरूद्व मैने एक शिकायत थाना सिटी भिवानी में दी थी। जिसपर कोई कानूनी कार्यवाही ना मुझे डरा धमकाकर 12 लाख 22 हजार रूपये दिलवा दिये और मुझ पर दबाव बनाकर व फिर से झूठे केस में व मेरे लडके को फसंवा देगे इस डर के कारण मुझे एक शपथ पत्र लिख रि देने को कहा क्योकि मै बहुत मानसिक तनाव व आर्थिक दबाव में था इसलिये मेरे पास कोई अन्य रास्ता नही था। मेरी दरखास्त पर कानून व नियमानुसार कोई कार्यवाही नही हुई फिर मैने एक शिकायत एस0पी0 भिवानी को दी जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई उसके बाद हिम्मत जुटाकर एक दरखास्त आपके विभाग में व डी.जी0 पुलिस व निदेशक चौकसी ब्यूरो को दिनाक 03.12.2018 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी परन्तु आपके विभाग से आजतक कोई कार्यवाही नही की गई फिर मैने 11.02.2019 को इस बारे में एक रिमाईन्डर दिया था। सबूत में रिमाइन्डर व शिकायत 05.12.2018 साथ सल्गन है। श्रीमान जी उपरोक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरज हवलदार एस0वी0बी0.-33 आपके विभाग में कार्यरत है और विभाग में रहते हुये सरकारी पद की धोसं दिखाकर रूपये ऐठना एक गंभीर अपराध है जो विभाग की छवि को धूमिल ही नही अपितु गभींर रूप से नीचा दिखाता है जो कि विजिलैस पुलिस विभाग पर धब्बा है। अतः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके विभाग मे कार्यरत गलत व्यक्तियो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे और मेरी शिकायत पर आप किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच करवाकर कानूनी अनुसार कार्यवाही का निर्देश दे प्रार्थी एस0डी0 विजय कुमार पुत्र श्री दिलबाग मोबाईल न0 8053515640 भिवानी हरियाणा दिनाक 05.03.19। इस शिकायत की जांच श्री बली सिंह, पुलिस अधीक्षक(कार्यकारी), राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार द्वारा की गई और जांच के दौरान पाया गया कि सन 2013 में प्रदीप सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ने एक शिकायत विरूद्व विजय कुमार सी0सी0 ने श्री ज्ञानसिंह निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी को बिजली का कनैक्शन करवाने की ऐवज में उपरोक्त विजय कुमार सी0सी0 द्वारा 5000 रूपये रिश्वत मागने के बारे दी थी। जिसपर उपरोक्त निरीक्षक ने नियमानुसार रेडिंग पार्टी घटित करके बाद इजाजत उपायुक्त महोदय भिवानी नियमानूसार उपरोक्त विजय कुमार पर रेड की जिसमें उक्त विजय कुमार प्रदीप सिंह से 5 हजार रिश्वत के रूपये छाया गवाह की उपस्थिति में लेता हुआ रगें हाथो पकडा गया था इसलिये उसके खिलाफ थाना राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार में मुकदमा न0 57 दिनाक 27.12.2013 अन्तर्गत धारा 7 दर्ज हुआ था। रिश्वत राशी बरामदगी के बाद इस मुकदमा में धारा 13 ईजाद की गई तथा इस मुकदमा का विचारण माननीय स्पैशल जज भिवानी की अदालत में हुआ था। जांच में यह पाया गया कि दौराने विचारण उपरोक्त विजय कुमार सी0सी0 ने ई0एच0सी0 धीरेन्द्र कुमार के साथ मिलकर अपराधीक षडंयत्र रचकर उपरोक्त मुकदमा के शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह व छाया गवाह दिनेश कुमार को दूश्प्रेरित करने का दूश्प्रेरण देकर मनाने का अवैध ईकरारनामा किया जिसके तहत उसने (विजय कुमार) ई0एच0सी0 धीरेन्द्र व उसके रिश्तेदार कुलदीप के मारफत (22,22,000) 22 लाख 22 हजार रूपये शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह व छाया गवाह दिनेश कुमार को देने का सौदा किया। इस ईकरारानामा के तहत दिनाक 01.07.2014 को अभियोजन पक्ष के दो मुख्य गवाहो शिकायतकर्ता (प्रदीप सिंह) व छाया गवाह (दिनेश कुमार) को अपने पूर्व कथनो से मुकराकर होस्टाईल करा दिया और इनको होस्टाईल कराने की ऐवज में इन गवाहो को 22,22,000 रूपये आरोपी विजय कुमार ने मार्फत धीरेन्द्र एंव उसके रिश्तेदार कुलदीप निवासी बोन्द को देने बताये गये है। परन्तु इन गवाहो को होस्टाईल होने के बावजूद भी माननीय स्पैशल जज की अदालत ने उपरोक्त विजय कुमार को दिनाक 29.11.2014 को दोषी करार देकर के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 व 13 के अधीन सजा सुना दी। सजा सुनाने के दो साल से भी अधीक समय के बाद उपरोक्त विजय कुमार ने एक दरखास्त थाना प्रबन्धक, शहर भिवानी को दी जिसमें आरोप लगाया कि ई0एच0सी0 धीरेन्द्र ने उपरोक्त गवाहो को होस्टाईल कराने की ऐवज में 22,22,000 रूपये ऐठं लिये। जिसपर तत्कालीन थाना प्रबन्धक विक्रम सिंह की मध्यस्था से इन दोनो के बीच समझौता हो गया था तथा उस समझौते के तहत ई0एच0सी0 धीरेन्द्र व उसके रिश्तेदारो ने मिलकर ई0एच0सी0 धीरेन्द्र की सरकारी नौकरी जाने की भय से उक्त विजय कुमार को 12 लाख 22 हजार रूपये दे दिये तथा उक्त विजय कुमार ने इस समझौते का एक ईकरारनामा दिनाक 14.03.2017 को लिखकर दिया था कि भविष्य में मैं ओर अधिक रूपयो की मांग नही करूगा परन्तु इस समझौते से एक साल से अधिक समय के बाद उक्त विजय कुमार ने दो शिकायतें क्रमशः पुलिस अधीक्षक, भिवानी को दिनाक 10.06.2018 तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा को दिनाक 15.12.2018 को दी। यह दोनो शिकायतें उपरोक्त समझौते के आधार पर दफतर दाखिल कर दी गई थीं। अब दिनाक 05.03.2019 को इसी मामले बारे उक्त विजय कुमार ने एक शिकायत निदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला को दी जिसकी जांच श्री बली सिंह, पुलिस अधीक्षक(कार्यकारी), राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार द्वारा की गई। शिकायत की गहनता से जांच करने पर ओर इस मामले से परिचित लोगो के ब्यानो से यह पाया गया कि विजय कुमार पुत्र श्री दिलबाग वासी बुडाना तहसील व जिला चरखी दादरी ने इ0एच0सी0 धीरेन्द पुत्र श्री दलीप सिंह वासी गांव तीगडाना जिला भिवानी के साथ मिलकर अपराधीक षडयंत्र रचकर उपरोक्त मुकदमा न0 57 दिनाक 27.12.13 के शिकायतकर्ता व छाया गवाह को 22,22,000 रूपये देकर होस्टाईल करवाने के लिये होस्टाईल किया जाना पाया गया है। ऐसा करके ई0एच0सी0 धीरेन्द्र उर्फ धीरज श्री दलीप सिंह वासी गांव तीगडाना जिला भिवानी ने भा0द0स0 की धारा 120-बी, 193 r/w 109, 384 व धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) r/w 13 (2) PC ACT , कुलदीप वासी बोन्द भा0द0स0 की धारा 120-बी, 193 r/w 109 व 384, प्रदीप सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह (शिकायतकर्ता मुकदमा न0 57) ने भा0द0स0 की धारा 120-बी, 193 व 384, दिनेश कुमार (छाया गवाह मुकदमा न0 57) ने भा0द0स0 की धारा 120-बी, 193 व 384, विजय कुमार ने भा0द0स0 की धारा 120-बी, 193 r/w 109, का अपराध करना पाया गया हैं। इसके अतिरिक्त विक्रम मान, तत्कालीन थाना प्रबन्धक, शहर थाना, भिवानी ने अपनी सरकारी डियुटी में कोताही करके उपरोक्त दोशियो के खिलाफ कानून सम्मत कार्यवाही ना करके भा0द0स0 की धारा 166, 166A (b), 167, 217, 218 का अपराध किया जाना पाया गया है अतः धीरेन्द्र उर्फ धीरज श्री दलीप सिंह वासी गांव तिगडाना जिला भिवानी, 2) कुलदीप वासी बोन्द, 3) प्रदीप सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, 4) दिनेश कुमार पुत्र श्री लेखी राम, 5) विजय कुमार पुत्र श्री दिलबाग वासी बुडाना तहसील व जिला चरखी दादरी व 6) विक्रम सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह गांव बोदडी तहसील व जिला करनाल (तत्कालीन थाना प्रबन्धक, शहर थाना, भिवानी) के विरूद्व धारा 13(1)(डी)(I) और (II) r/w 13 (2) PC ACT, धारा 120-बी, 193 r/w 109, 193, 384, 166, 166A(b), 167, 217, 218 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज रजि0 करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड (अन्तिम रिपोर्ट बली सिंह, पुलिस अधीक्षक मय पेज 01 से 97 मय सी0डी0) बराये तफतीश निजद पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्टे°ट साहब व अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है। प्रबन्धक अफसर,थाना रा0 चै0 ब्यूरो (ह),हिसार मण्डल हिसार। दिनांक अज थानाः- हस्ब आमद तहरीर बाला पर मुकदमा हजा व जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड (अन्तिम रिपोर्ट बली सिंह, पुलिस अधीक्षक मय पेज 01 से 97 मय सी0डी0) बराये तफतीश निजद पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Bali Singh **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ajit Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): H72

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	1977				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1970				**Is Proxitted:** Yes

6	Male	1964				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s)(आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)